सत्यमेव जयते

कृषक व प्रसार कर्यकर्ता संदर्भ पुस्तिका

कृषकों द्वारा फसलोत्यादन के लिये क्रेन्द्रीय प्रोजित व राज्य सरकार द्वारा कार्यविन्त विभिन्न कार्यक्रम

विकास विभाग,
दिल्ली सरकार, दिल्ली

यह किताब क्यों?

कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि के विकास हेतु व कृषकों को फायदे देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें राज्य सरकार के माध्यम से चलाई जाती है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो मार्ग निर्देशिका जारी की जाती है व कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की बेवसाइट (http://agricoop.nic.in / compedium7410pdf) पर भी देखी जा सकती हैं।

यह संभव है कि कृषक को एक प्रकार का लाभ किसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी मिल रहा है जैसे एक फसल का बीज की खरीद पर अनुदान माइक्रो मेनेजमेन्ट के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर भी उपलब्ध है। इस प्रकार की दोहरी अनुदान प्रथा को अलग-अलग करने के लिये प्रशासन द्वारा प्रसार अधिकारी व कृषक के लिये अनुदान का हिस्सा, वित्तीय लाभ योजनाओं के अनुसार समझने के लिये इस किताब के द्वारा अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

इस किताब के द्वारा प्रत्येक योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सहायता, सुविधा व अनुदान को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है जैसे मिट्टी का स्वास्य, भूमि सुधार व उरर्वक, बीज, सिंचाई, प्रशिक्षण व प्रसार, यंत्र व यंत्रिक तकनीकी, कृषि खाद्य, फसल बीमा, पौध संरक्षण, बागवानी व विपणन आदि दिया गया है। इन सभी क्रियाओं को 3 भाग में बाटा गया है। जैसे क्या करना है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है और किससे सम्पर्क करें। भारत सरकार को योजनाओं के मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया हैं।

1. **<u>पूरे देश के लिये लागू है</u>**:- यदपि भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलाई गई है तो कि पूरे देश में लागू है परन्तु संध राज्य दिल्ली एक छोटा सा राज्य है और कृषि का कार्य भी सीमित है इसलिये केवल माइक्रो मनेजमेन्ट मोड योजना ही लागू की जा रही है।
2. **<u>विशेष क्षेत्र / फसल / जिला संबंधी योजना</u>**:- इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कई योजनायों क्रियांवित की जा रही है परन्तु दिल्ली एक छोटा सा संघ राज्य है तो केवल राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियांवित की जा रही है और यह योजना इस समय दिल्ली सरकार के पर्यावरण व वन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उद्यान इकाई द्वारा क्रियाविन्त की जा रही हैं।

यह पुस्तिका विशेषकर कृषक व प्रसार कार्यकार्ता के संदर्भ के लिये जो विभिन्न क्रेन्द्रीय योजना व विभिन्न राज्यकीय योजना कार्यवन्ति की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण संदर्भ हेतु संकलन करके दिया जा रहा है।

<u>विशेष नोट</u>:- ***इस पुस्तिका में कृषकों को जो सुविधा व अनुदान/सहायता का प्रावधान राज्य योजनाओं, क्रेन्द्रीय योजनायों जैसे कृषि राज्य कार्य योजना का वृहद प्रंबधन, विस्तार सुधार योजना (आत्मा), राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि में प्रावधानों का विवरण दिया गया है और राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वन की स्थिति में संबंधित नियामवली के आधार पर एव वित्तीय उपलब्धता और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार यह सुविधा दी जायेगी। दिल्ली में अन्य क्रेन्द्रीय प्रयोजित जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मिट्टी का स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन, दलहन व तिलहन उत्पादन, माईक्रो इर्रीगेशन मिशन आदि का क्रियावन नहीं दिया जा रहा है इसलिये उनके अन्तर्गत कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।***

1. मिट्टी स्वास्थ्य एवं संरक्षण

(मिट्टी की हो नियमित जांच, न आये खेती पर आंच)

क्या करें ?

- मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरक उचित मात्रा में ही डालें।
- मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रखने के लिये जैविक खाद का उपयोग करें
- उर्वरक छिड़कने की बजाय जड़ों के पास डालें ताकि उर्वरक का पूरा असर रहे
- फास्फेटिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण और प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करें ताकि जड़ों/तनों का समुचित विकास हो तथा फसल समय पर पके, विशेष रूप से फलीदार फसलें, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करती है।
- अम्लीय भूमि के सुधार के लिये चूना और क्षारीय/ऊसर भूमि के लिये जिप्सम आदि का प्रयोग करें।
- भारत के लिए सहभागी जैविक गारन्टी व्यवस्था (पी.जी.एस.– इण्डिया प्रमाणीकरण) अपनाने के इच्छुक किसान अपने अथवा पास के गांव से कम से कम पांच किसानों का एक समूह बना कर इसका पंजीकरण पास के जैविक कृषि के क्षेत्रीय परिषद अथवा क्षेत्रीय केन्द्र में करायें ।

क्या पाये ?

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना/ अधिकतम सीमा	स्कीम घटक
1.	मिट्टी की जांच एवं स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।	राज्य सरकार द्वारा संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से निर्धारित दर पर जांच शुल्क कृषक 30 रू. व फार्म हाऊस 500 रू. मिट्टी का प्रति नमूना। अनु. जाति का नमूना निःशुल्क जांच	राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत
2.	पानी के नमूने की जांच	सामान्य कृषक का रू.20 प्रति नमूना फार्म हाऊस रू.300 प्रति नमूना व अनु. जाति का नमूना निःशुल्क जांच	राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत
3.	क्षारीय/उसर मिट्टी सुधार हेतु जिप्सम/ जिंक सल्फेट/हरी खाद/ जैविक व अन्य खाद	भूमि सुधार हेतू जिप्सम, जिंक सल्फेट, हरी खाद का बीज और कार्बनिक / जैविक खाद देना	राज्य सरकार की भूमि सुधार योजना
4.	अम्लीय मिट्टी सुधार हेतु चुना/बेसिक स्लैग के लिए	यदि आवश्यक है तो लाइम व बैसिक फलैग देना	राज्य सरकार की भूमि सुधार योजना
5.	जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए	रू.1000/– प्रति हैक्टेयर या कीमत का 25% जो भी कम हो	कृषि राज्य – फार्म योजना का वृहद प्रबन्धन

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना / अधिकतम सीमा	स्कीम घटक
6.	जिप्सम / पाईराइट / चूना / डोलोमाइट की आपूर्ति	रू. 750 / – प्रति हेक्टेयर	कृषि राज्य – फार्म योजना का वृहद प्रबन्धन
7.	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन	रू. 1000 / – प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 4 हैक्टेयर तक के क्षेत्र	कृषि राज्य – फार्म योजना का वृहद प्रबन्धन
8.	सूक्ष्म पोषक तत्व को बढ़ावा देने और वितरण हेतु	रू. 700 / – प्रति हैक्टेयर	कृषि राज्य – फार्म योजना का वृहद प्रबन्धन
9.	वर्मी कम्पोस्ट इकाई	रू. 30000 / – प्रति इकाई (एक हेक्टेयर भूमि के लिये)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत
10.	जैविक खेती अपनाने के लिये	रू. 10000 / – प्रति हेक्टेयर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत

किससे सम्पर्क करें ?

निकटतम खण्ड विकास अधिकारी, मिट्टी परीक्षण व भूमि सुधार इकाई, कृषि व बागवानी इकाई कार्यालय से।

2. बीज

(सुबीजम् सुक्षेत्रे जायते सम्पद्यते)

- स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई किस्मों का उपयोग तथा बीज दर एवं दूरी अपनायें।
- गेहूँ, धान, जौ, दलहन (अरहर को छोड़कर), तिहलन (राई, सरसों, को छोड़कर), मक्का आदि के बीज 3 वर्ष में एक बार, अरहर, राई, सरसों, के बीज 2 वर्ष में एक बार एवं संकर बीज प्रति वर्ष बदलें।
- सरकारी संस्थान, अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्व विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय व राजकीय बीज निगम, बीज उत्पादक या उनके केवल अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणित / आधार बीज प्राप्त करें और इन्हें बोने तक शीतल, सूखी और साफ जगह पर रखें
- बोने के लिए उपचारित बीजों का उपयोग करें और बोने से पूर्व शुद्वता, गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता की जाँच कर लें जिससे बीजों का जमाव अच्छा होगा।

क्र.सं.	फसल	अधिकतम सहायता प्रति किलोग्राम बीज पर	योजना/घटक
प्रमाणित बीज की खरीद पर सहायता			
1.	क. धान एवं गेहूँ ख. संकर धान बीज	क. रू. 5/– या मूल्य का 50% जो भी कम हो ख. रू.20/–या मूल्य का 50% जो भी कम हो	कृषि–राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन।
2.	क. बाजरा, ज्वार और जौ ख. संकर बाजरा और संकर ज्वार	क. रू.20/– या मूल्य का 50% जो भी कम हो ख. रू.10/–या मूल्य का 50% जो भी कम हो	कृषि–राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन
3.	सभी दलहन (अरहर, मूंग, उरद, मसूर, मटर, चना)	रू.12/– या मूल्य का 50% जो भी कम हो	कृषि–राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन
4.	सभी तिलहन, तोरिया बीज, सरसों, राई, और मक्का	रू. 12/– या मूल्य का 50% जो भी कम हो	कृषि–राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन

किससे सम्पर्क करें ?

निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या कृषि विभाग दिल्ली सरकार दिल्ली ।

3. सिंचाई

(खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में)

क्या करे?

- अच्छी कृषि पद्वतियों के माध्यम से मिट्टी और पानी का संरक्षण करें
- चेक बांधों और तालाबों के द्वारा बारिश के पानी का संचयन करें और फिर सिंचाई के लिए उपयोग करें।
- जल भराव क्षेत्रों में फसल विविधीकरण, बीज उत्पादन और पौधशाला लगायें।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली– बूँद–बूँद व छिड़काव सिंचाई अपनायें यह 30–37% तक पानी बचाती है और इससे फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता और उत्पादन भी बढ़ जाता है।

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना/अधिकतम सीमा	स्कीम घटक
1.	छोटे टैंक/तालाब पर सहायता कमान्ड क्षेत्र के अनुसार अनुपातिक आधार पर स्वीकृत होगी	रू. 15.00 लाख प्रति इकाई मैदानी क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए	राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत
2.	कम माप के टैंक/तालाब पर सहायता कमान्ड क्षेत्र के अनुसार अनुपातिक आधार पर स्वीकृत होगी	लाइनिंग सहित हुए मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम मूल्य 1.20 लाख का 50 प्रतिशत प्रति लाभार्थी 2 हेक्टेयर कमांड के लिए रू. 100/– प्रति घन मीटर की दर से	राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत

किससे सम्पर्क करें ?

निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या कृषि विभाग व बागवानी इकाई कार्यालय, दिल्ली सरकार दिल्ली ।

4. किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण

(चलो प्रसार का लाभ उठायें, भरपूर फसल, खुशहाली पायें)

क्या करें?

- राज्य सरकारों द्वारा संचालित प्रसार योजना या आत्मा के माध्यम से संचालित विस्तार सुधार योजना के अंतर्गत ब्लाक व निचले स्तर पर तैनात विस्तार कर्मियों द्वारा किया जा रही है। किसान अपने लिए या अपने क्षेत्र के लिए उचित तकनीकी, सरकार के किसी भी कार्यक्रम के योजना के बारे में अथवा कृषि संबंधित अन्य जानकारी के लिए इन विस्तार कर्मियो या राज्य सरकार के कृषि व संबंधित विभागों के कर्मिया से सम्पर्क करें।
- कृषि संबंधित नवीनतम ज्ञान व सूचना प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन, एफ.एम रेडियों स्टेशनों अथवा निजी चैनलों पर प्रसारित कृषि कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते है।
- किसान काल सेन्टर/विशेषज्ञों के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए नजदीकी किसान काल सेन्टर टोल निःशुल्कत नं. (1800–180–1551) से साल के 365 दिन प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक सम्पर्क करें।
- कृषि में निर्धारित योग्यताधारी राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) द्वारा मान्य किसी भी राज्य स्थित नोडल प्रशिक्षण संस्थान से 2 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते है। एग्रीक्लिनिक हेतु स्वीकृति ऋण पर 36 प्रतिशत अनुदान (अनुसूचित जाति) उपलब्ध है। किसान कृषि संबंधित सेवाओं अथवा सलाह के लिए इन केन्द्रो से सम्पर्क कर सकते है।
- प्रगतिशील किसानों के लिए आयोजित भ्रमण यात्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें।
- स्थानीय सूचना/जानकारी कृषि विस्तार तंत्र से प्राप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम/घटक
1.	पौध सुरक्षा पर प्रशिक्षण हेतु 40 प्रशिक्षणार्थियों के लिये एक सप्ताह के पाठ्यक्रम हेतु	रू. 1,52,100/– प्रति समूह	पौध संरक्षण
2.	सब्जी उत्पादन व संबंधित विषयों पर किसानों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण।	रू. 1500/– प्रति किसान प्रति प्रशिक्षण (परिवहन व्यय अतिरिक्त)	शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की खेती
3.	किसानों के लिए अन्तर्राज्य प्रशिक्षण (50 मानव दिवस प्रति ब्लॉक)	रू. 1000/– प्रति किसान प्रति दिन जिसमें परिवहन, खाने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा
4.	किसानों के लिए राज्य के किसी क्षेत्र में प्रशिक्षण (100 मानव दिवस प्रति ब्लॉक)	रू. 750/– प्रति किसान प्रति दिन जिसमें परिवहन, खाने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा
5.	किसानों के लिए जिले के किसी क्षेत्र में प्रशिक्षण (1000 मानव दिवस प्रति ब्लॉक)	रू. 400/– प्रति किसान प्रति दिन जिसमें परिवहन, खाने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम/घटक
6.	कृषि प्रदर्शन (125 प्रदर्शन प्रति ब्लॉक)	रू. 4000/– तक प्रति प्रदर्शन प्लाट (4 हेक्टेयर)	आत्मा
7.	प्रदर्शन प्लाट के माध्यम से एक किसान द्वारा अन्य किसानों को तकनीकी विस्तार हेतु (प्रदर्शन प्लाट पर 50 किसानों का 6 बार भ्रमण) (125 प्रदर्शन प्रति ब्लॉक)	रू. 1500/– प्रति प्रदर्शन प्लाट	आत्मा
8.	10 दिनों के लिए अन्तर्राज्यीय भ्रमण (5 किसान प्रति ब्लॉक)	रू. 600/– प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा
9.	10 दिनों का प्रदर्शन राज्य के क्षेत्र में (25 किसान प्रति ब्लॉक)	रू. 300/– प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा
10.	एक दिवसीय जिला स्तर के भ्रमण (100 किसान प्रति ब्लॉक)	रू. 250/– प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा
11.	किसान समूहों के क्षमता निर्माण, कौशल विकास व अन्य सहयोगी सेवाओं के लिए (20 समूहों को प्रति ब्लॉक)	रू. 5000/– प्रति समूह	आत्मा
	इन समूहों को आमदनीजनक कार्यो के लिए एकमुश्त बीज राशि	रू. 10,000/– प्रति समूह	आत्मा

किससे सम्पर्क करें ?

निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या कृषि विभाग कार्यालय, दिल्ली सरकार दिल्ली।

5. कृषि मशीनरी और प्रौद्योगिकी

क्या करें?

- अपनी आवश्यकता एवं स्थानीय परिस्थितियों और जोत के अनुसार ही कृषि मशीनरी का चयन करें।
- किसान भाई मंहगी मशीनरी को भाड़े पर लेकर अथवा आपस में बांट कर प्रयोग करें।
- संसाधन बचाइये जीरो टिल सीड ड्रिल, लेसर लैण्ड लेवलर, रोटावेटर, हैप्पीसीड ड्रिल आदि का प्रयोग करें।
- दिल्ली में छोटी जोत है तथा अधिकतर सब्जियाँ, उगाई जाती है इसलिये कृषि यंत्रीकरण की संभावनायें सीमित है।

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम/घटक
1.	ट्रैक्टर 40 हार्स पावर तक	रू. 45000/– अथवा मूल्य का 25% जो कम हो	कृषि–राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन
2.	पावर टिलर	i. रू. 45000/– अथवा मूल्य का 40% जो कम हो (8 हार्स पावर से अधिक शक्ति वाला) ii. रू. 25000/– अथवा मूल्य का 40% जो कम हो (8 हार्स पावर से कम शक्ति वाला)	उपरोक्त
3.	सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनें	रू. 40000/– अथवा मूल्य का 25% जो कम हो	उपरोक्त
4.	मानव चालित उपकरण/टुल्स	रू. 2000/– अथवा मूल्य का 25% जो कम हो	उपरोक्त
5.	पौध सुरक्षा उपकरण–एरो ब्लास्ट स्प्रेयर	रू. 25000/– अथवा मूल्य का 25% जो कम हो	उपरोक्त
6.	पौध सुरक्षा उपकरण–पावर चालित	रू. 2000/– अथवा मूल्य का 25% जो कम हो	उपरोक्त
7.	हस्तचालित पादप सुरक्षा उपकरण	रू. 800/– अथवा मूल्य का 25% जो कम हो	उपरोक्त
8.	पावर ट्रिलर (ट्रेक्टर चलित)	रू. 10000/– अथवा मूल्य का 25% जो कम हो	उपरोक्त
9.	रोटावेटर	रू. 20000/– अथवा मूल्य का 40% जो कम हो	उपरोक्त
10.	जीरो टिलेज सीड ड्रिल, बहुफसली पलान्टर बीज व उरर्वक ड्रिल पावर वीडर	रू. 15000/– अथवा मूल्य का 50% जो कम हो	उपरोक्त
11.	कोनोवीडर एवं अन्य कृषि यंत्र	रू. 3000/– अथवा मूल्य का 50% जो कम हो	उपरोक्त
	किससे सम्पर्क करें ? निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या कृषि विभाग कार्यालय, दिल्ली सरकार दिल्ली ।		

6. पौध सुरक्षा

(मित्र कीट से कर लो यारी, खिल जायेगी क्यारी-क्यारी)

क्या करें?

- गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करें जिससे हानिकारक कीट व व्याधियां का नियंत्रण होता है।
- फसलों की उपलब्ध प्रतिरोधी किस्मों आदि का चयन करें एवं फसल चक्र, अन्तः फसल, ट्रैप क्राप आदि विधियां अपनाकर कीट नियंत्रण करें।
- लाइट ट्रैप व चिपकने वाली ट्रैप का प्रयोग करें।
- जैविक नियंत्रण के लिए परजीवी एवं कीट जीवों (मित्र कीट) का उपयोग करें।
- कीट नियंत्रण के लिए सेक्स फीरोमोन ट्रैप, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु (एनपीवी), स्यूडोमोनास और ट्राइकोग्राम आदि जैसे परजीवी कीट कार्ड का प्रयोग करें।
- जैविक व नीम आधारित कीटनाशकों को प्रोत्साहित करें।
- यदि ऊपर लिखे हुए उपाय जब कीट नियंत्रण ना कर सके तो ही रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार ही करें और निम्नलिखित सावधानियां बरतें : –

☞ रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते समय सुरक्षा के उपाय अपनायें।

☞ कीटनाशकों का छिड़काव करते समय सुरक्षा के साधन जैसे मास्क, दस्तानें आदि का प्रयोग करें।

☞ हमेशा छिड़काव हवा की दिशा में करें और अपने आप को छिड़काव से सुरक्षित रखें।

☞ कीटनाशकों, पादप छिड़काव यंत्रों आदि को बच्चों और पालतू पशुओं की पहुंच से दूर, ताले में रखे

☞ कीटनाशक क्रय करते समय इनकी पैकिंग व वैधता की तारीख अवश्य देख लें।

☞ कीटनाशक विष से प्रभावित होने पर तुरन्त डाक्टर से सम्पर्क करें तथा कीटनाशक के डिब्बे व निर्देश

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना/अधिकतम सीमा	स्कीम/घटक
1.	किसानों के खेतों पर विभिन्न फसलों में समेकितकीट प्रबन्धन प्रदर्शन	रू. 1000/– प्रति हैक्टर और अधिकतम 4 हेक्टेयर तक	कृषि राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन
2.	बागवानी फसलों में समेकित कीट प्रबन्धन के लिए	4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित रू. 1000/– प्रति हेक्टेयर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
3.	कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशी रसायनों की आपूर्ति के लिये	50 प्रतिशत कीमत अथवा रू. 500/– प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो	कृषि राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन
4.	धान की फसल में पादप रक्षा रसायनों व जैविक कीटनाशकों की आपूर्ति के लिए	50 प्रतिशत या रू. 500/– प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो	कृषि राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन

पौध सुरक्षा

(मित्र कीट से कर लो यारी, खिल जायेगी क्यारी-क्यारी)

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना/अधिकतम सीमा	स्कीम/घटक
5.	दलहनों की खेती में–समेकित नाशीजीव नियंत्रण रसायनों, जैविक कीटनाशकों, फेरोमोन ट्रैप आदि की आपूर्ति के लिए	50 प्रतिशत या रू. 500/– प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो	कृषि राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबन्धन
6.	जैव नियंत्रण एजेन्ट/जैविक कीटनाशकों की आपूर्ति	25 प्रतिशत या रू. 500/– जो भी कम हो	कृषि राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबन्धन
7.	बीजोपचार : 3. मानव चालित बीज उपचार ड्रम ब. बीज उपचार सामग्री	25 प्रतिशत या रू. 800/– की सब्सिडी जो भी कम हो 25 प्रतिशत या रू. 50/– की सब्सिडी जो भी कम हो	कृषि राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबन्धन

किससे सम्पर्क करे?

निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या कृषि विभाग या बागवानी इकाई जो भी सम्बन्धित हो, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

7. कृषि ऋण

क्या करें?

- अपने आपको सूदखोरों के चंगुल से मुक्त रखने के लिये किसान बैंको से कृषि ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते है।
- किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सुविधा देश भर के फैले वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के विशाल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है
- बैंक ऋण का समय से भुगतान सुनिश्चित करें।
- किसानों को अपने ऋण का समुचित ब्यौरा रखना चाहिये।
- बैंक ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये करें, जिसके लिये ऋण लिया गया है।

क्र.सं.	ऋण सुविधा	सहायता का पैमाना
1.	ब्याज सहायता पर फसल ऋण प्रतिभूति(सिक्योरिटी) की आवश्यकता	प्रति वर्ष 7 प्रतिशत या निर्धारित ब्याज दर पर कृषक का फसल फसल विवरण के अनुसार फसल ऋण तथा सही समय पर ऋण चुकता करने पर ब्याज पर छूट दी जाती हैं। एक लाख रूपये तक के कृषि ऋण के लिए किसी प्रतिभूति (सिक्योरिटी) की आवश्यकता नहीं है।
2.	किसान क्रेडिट कार्ड	यह एक अत्यन्त सुगम योजना है और इसके अन्तर्गत किसानों को फसल ऋण सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है। किसानों को अधिकतम रू. 50000/– तक प्रति फसली मौसम में।
3.	निवेश ऋण	किसानों को उनके निवेश उद्देश्य जैसेः सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, भूमि विकास, रोपण, बागवानी एवं कटाई उपरांत प्रबंधन इत्यादि के लिये भी सस्ते ब्याज दर पर बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध है।

किससे सम्पर्क करें?

निकटतम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखा, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (कृषि ऋण वितरण अनुभाग), स्थानीय मुख्य कार्यलय, 11 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 से सम्पर्क करें।

8 कृषि विपणन

(फल फूलों की खेती करना, अपने लाभ को दूना करना)

क्या करें?

- किसान अपनी उपज की कीमत की जानकारी निकतम कृषि उपज मण्डी या किसान काल सेन्टर (1800–180–1551) (निःशुल्क), कृषि विपणन निदेशालय, दिल्ली सरकार www.delhigovt.nic.in(directorate of agricultural marketing) अन्यथा भारत सरकार की एगमार्कनेट वेबसाइट (www.agmarknet.nic.in) के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- फसल की कटाई और गहाई उचित समय पर की जानी चाहिए।
- उचित कीमत के लिए बिक्री से पहले उचित नमी पर लाने के सुखाये, ग्रेडिंग, पैकिंग और लेबलिंग की जानी चाहिए।
- उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए निकतटम कृषि उपज मंड़ी जाना चाहिए।
- अधिकतम लाभ के लिए उपज का भंडारण करके ऑफ सीजन में बिक्री करनी चाहिए जिससे उपज को अच्छी कीमत मिलेगी।
- मजबूरन बिक्री से बचना चाहिए।
- बेहतर विपणन सुविधाओं के लिए किसान समूह में सहकारी मार्केटिंग कर सकते है।
- विपणन सहकारी समितियां खुदरा और थोक दुकानें खोल सकती है।

क्या पायें?

क्र.सं.	कृषि व अन्य उत्पादन	सुविधा कहां पर है
1.	कृषि की विभिन्न अनाज फसल उपज	कृषि उपज के विपणन के लिये कृषि उपज मण्डी नरेला व नजफगढ़, दिल्ली
2.	विभिन्न सब्जियों व फल उपज	दिल्ली में कार्यरत विभिन्न फल व सब्जी उपज मण्डी आजादपुर, केशोपुर, औखला, शाहदरा व गाजीपुर स्थित मण्डी ।
3.	पुष्प उत्पादन	दिल्ली में कार्यरत विभिन्न फूल उपज मण्डी, औखला या गाजीपुर।
4.	मत्स्य, मुर्गे व अण्डे उत्पाद	दिल्ली में कार्यरत मत्स्य, मुर्ग व अण्डे उपज मण्डी, गाजीपुर।
5.	चारा उत्पादन	चारा मण्डी मंगोलपुरी

किससे सम्पर्क करे?

निकटतम कृषि उपज मंड़ी, कृषि विपणन निदेशालय, दिल्ली सरकार, कृषि विपणन निदेशालय भारत सरकार।

9. बागवानी

(फल फूलों की खेती करना, अपने लाभ को दूना करना)

क्या करें?

- बागवानी फसलें अपनायें और कम क्षेत्र से ज्यादा उत्पादन व लाभ पायें।
- स्वस्थ फसल के लिए उच्च गुणवत्ता की पौध लगायें।
- शीत भण्डारण अपनाकर फल सब्जियां लम्बे समय तक ताजा रखे।
- सही कटाई विधि, सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण व पैकेजिंग अपनाकर अधिकतम लाभ उठायें।
- पॉली हाउस, शेडनेट, लो–टनल द्वारा बिना मौसम की सब्जियां भी पैदा करें और अच्छे मूल्य पायें।

क्या पायें?

क्र.सं.	योजना का अवयव	उपलब्ध सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन	
		सब्सिडी	अधिकतम प्रति यूनिट मूल्य (हे0)
1.	सब्जी बीज उत्पादन (अधिकतम 5 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी)	50 प्रतिशत	रूपये 50000/–
2.	आदर्श/बड़ी पौधशाला (2–4 हेक्टेयर)	50 प्रतिशत	6.25 लाख
3.	नये बागों की स्थापना (अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी)		
	(क) बहुवर्षीय (आम, अमरूद, बेर आदि)	50 प्रतिशत (60:20:20 की तीन किश्तों में दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित दर की शर्त पर)	रू. 80000/–
	(ख) गैर– बारहमासी फल (केला (सकर द्वारा), आदि)	50 प्रतिशत (75:25 की दो किश्तों में दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत की जीवित दर की शर्त पर)	रू. 70000/– अथवा निर्धारित खर्च का 50 प्रतिशत जो भी कम हो

बागवानी

(फल फूलों की खेती करना, अपने लाभ को दूना करना)

क्र.सं.	योजना का अवयव	उपलब्ध सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन	
		सब्सिडी	अधिकतम प्रति यूनिट मूल्य (हे0)
4.	मसाले की फसलें (अधिकतम 4 हे0 प्रति लाभार्थी)		
	अ. बीज और प्रकन्द वाले मसाले	50 प्रतिशत	रू. 25000/–
	ब. बहुवर्षीय मसाले	50 प्रतिशत	रू. 40000/–
5.	फूलों के बगीचे–लूज, कन्दीय एवं कटफ्लावर (अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभार्थी)	50 प्रतिशत (छोटे और सीमांत किसानों के लिए)	लूज रू. 24000/– कन्दीय रू. 90000/– कटफ्लावर रू. 70000/–
6.	सुगन्धित पौधें की खेती (अधिकतम 4 हे. प्रति लाभार्थी)	50 प्रतिशत	गहन लागत वाले–पचौली, जिरेनियम, रोजमैरी इत्यादि (रू. 75000/–,अन्य रू. 25000/–)
7.	पुराने बागों का नवीनीकरण/जीर्णोद्धार (2 हे0 प्रति लाभार्थी)	50 प्रतिशत	रू. 30000/–
8.	मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण समर्थन (अधिकतम 50 कालोनी प्रति लाभार्थी)		
	अ. मधुमक्खी कालोनी	50 प्रतिशत	रू. 1400/– प्रति कालोनी (चार फ्रेम वाली)
	ब. मधुमक्खी के छत्ते	50 प्रतिशत	रू. 1600/– प्रति कालोनी छत्ता

बागवानी

(फल फूलों की खेती करना, अपने लाभ को दूना करना)

क्र.सं.	योजना का अवयव	उपलब्ध सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन	
		सब्सिडी	अधिकतम प्रति यूनिट मूल्य (हे0)
9.	संरक्षित खेती (I) ग्रीन हाउस		
	(क) फेन व पैड सिस्टम (1000 वर्ग मी.) प्रति लाभार्थी तक सीमित	50 प्रतिशत	रू. 1465/– प्रति वर्ग मीटर
	(ख) प्राकृतिक वायु संचार व्यवस्था	50 प्रतिशत	
	(i) टयूबलर	50 प्रतिशत	रू. 935/–प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम 1000 वर्ग मीटर)
	(ii) लकड़ी	50 प्रतिशत	रू. 515/–प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम 500 वर्ग मीटर)
	(iii) बाँस	50 प्रतिशत	रू. 375/–प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम 200 वर्ग मीटर)
	(II) शेडनेट हाउस		
	(i) ट्यूब की आकार की संरचना (1000 वर्ग मी. प्रति लाभार्थी तक सीमित)	50 प्रतिशत	रू. 600/– प्रति वर्ग मीटर
	(ii) लकड़ी से बनी संरचना (अधिकतम 5 यूनिट और प्रति यूनिट 200 वर्ग मी. तक)	50 प्रतिशत	रू. 410/– प्रति वर्ग मीटर
	(iii) बाँस से बनी संरचना (अधिकतम 5 यूनिट और प्रति यूनिट 200 वर्ग मीटर)	50 प्रतिशत	रू. 300/–प्रति वर्ग मीटर
	(III) प्लास्टिक पलवार (मलचिंग) (अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभार्थी)	50 प्रतिशत	रू. 20000/–
	(IV) प्लास्टिक टनल (1000 वर्ग मी. प्रति लाभार्थी तक सीमित)	50 प्रतिशत	रू. 30/– प्रति वर्ग मीटर

बागवानी

(फल फूलों की खेती करना, अपने लाभ को दूना करना)

क्र.सं.	योजना का अवयव	उपलब्ध सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन	
		सब्सिडी	अधिकतम प्रति यूनिट मूल्य (हे0)
10.	समेकित कटाई उपरान्त प्रबंधन		
	अ. पैक हाउस, खेत स्तर पर संग्रह एवं भण्डारण इकाई	50 प्रतिशत	रू. 3.00 लाख प्रति ईकाई (माप 9 मीटर x 6 मीटर)
	ब. प्री कूलिंग इकाई	40 प्रतिशत	रू. 15.00 लाख प्रति इकाई 6 मी.टन क्षमता के लिए (क्रेडिट लिंक के आधार पर)
	स. चलती फिरती प्री कूलिंग इकाई	40 प्रतिशत	रू. 24.00 लाख प्रति इकाई 5 मी.टन क्षमता के लिए (क्रेडिट लिंक के आधार पर)
	द. शीतगृह इकाई (निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण) एवं फल पकाने का कमरा (अधिकतम 5000 मी.टन क्षमता के लिए)	40 प्रतिशत	रू. 6000/– प्रति मै. टन की दर से (5000 मैट्रिक टन क्षमता के लिए) (क्रेडिट लिंक के आधार पर)
11.	शीत वाहन (रेफर वैन)	रू. 24.00 लाख प्रति 6 मै.टन क्षमता वाहन के लिये	क्रेडिट लिंक के आधार पर प्रोजेक्ट के अनुसार
12.	पकाने वाला चैम्बर (राइपिनिंग चैम्बर)	रू. 6000/– प्रति मै. टन व 5000 मैट्रिक टन क्षमता के लिए	क्रेडिट लिंक के आधार पर प्रोजेक्ट के अनुसार

नोट :– राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत सभी प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

किससे सम्पर्क करें :–

निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या उद्यान इकाई, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

10 कृषि बीमा

- फसल बीमा दिल्ली राज्य पर लागू नहीं की जा रही है।
- दिल्ली में सब्जियों ज्यादा उगाई जाती है जो कि कम समय की फसल है इस लिए कृषि बीमा की योजना लागू नहीं है।